

दिनांक 30.12.2022 को विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 13वीं (आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में निम्न उपस्थित रहे:-

1. डॉ० अंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि०भ०उ०प्र०वि०वि०, देहरादून
2. डॉ० आर०पी०एस० गंगवार, निदेशक, डब्ल्य०आई०टी०, देहरादून
3. डॉ० सत्येन्द्र सिंह, निदेशक, बी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट (ऑनलाइन उपस्थित)
4. डॉ० हरप्रीत सिंह ग्रेवाल, निदेशक, डी०बी०एस० कालेज, देहरादून
5. डॉ० अमित बन्सल, निदेशक, जे०बी०आई०टी० कालेज, देहरादून (ऑनलाइन उपस्थित)
6. डॉ० अमय कुमार शर्मा, निदेशक, बी०आई०एस०, भीमताल (ऑनलाइन उपस्थित)
7. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति
द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष (ऑनलाइन उपस्थित)
8. कुलसचिव, वी०मा०सि०भ०उ०प्र०वि०वि०, देहरादून
9. परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्र०वि०वि०, देहरादून
10. वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्र०वि०वि०, देहरादून
11. श्री सुनील कुमार, स्टॉफ ऑफिसर

प्रस्तावना:- सर्वप्रथम बैठक में मा० कुलपति महोदय एवं माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलसचिव द्वारा आकस्मिक बैठक के बारे में औचित्य प्रस्तुत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

एजेडा बिन्दुः-1

'संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में लैट्ररल एंट्री के ऐसे छात्रों के प्रवेश दिये जाने के प्रकरण सामने आये हैं, जो छात्र उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा से डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं है अथवा उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं हैं, पर चर्चा।

प्रस्ताव:-

प्रस्ताव:-

1. बैचलर ऑफ टैक्नॉलॉजी प्रोग्राम (B.Tech) हेतु सत्र 2022–23 and onwards के लिए जारी आर्डिनेंस 2.2 में निम्न व्यवस्था निहित है:-

- (v) Candidates who have passed 3 year/4 year Diploma (as per AICTE norms) from institutions recognized by the Uttarakhand Board of Technical Education in any branch of Engineering/Technology except Agriculture Engineering are eligible for admission to Second year in any branch of Engineering/Technology except Agriculture Engineering.
- (vi) Candidates who have passed 3 year/ 4 year diploma (as per AICTE norms) from institutions recognized by the Uttarakhand Board of Technical Education in Agriculture Engineering are only eligible for admission to Second year of Agriculture Engineering.
- (vii) Candidate who have passed B.Sc. (with Mathematics) with minimum of 60% marks are eligible to take admission to Second year in any branch of Engineering/ Technology.

2. बैचलर ऑफ फॉर्मसी प्रोग्राम (B.Pharma) हेतु जारी आर्डिनेंस 2.2 में निम्न व्यवस्था निहित है:-

"A pass in D.Pharm. course from an institution approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act."

3. विश्वविद्यालय की विनियमावली में प्रवेश हेतु धारा 6.7 (2) में निम्न व्यवस्था निहित है:-

"विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्ववित्त पोषित श्रेणी की होंगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर आखिल भारतीय कोटे से मैरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार

अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यार्थियों से मैरिट के आधार पर भरी जा सकेगी। सीटें रिक्त रहने पर मैरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्य परिषद् के निर्णय के अधीन होगी तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजी0सी0) / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से निर्गत सम्बन्धित दिशा / निर्देशों / व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।"

ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा एवं पी0सी0आई0 द्वारा ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है कि छात्र को सम्बन्धित प्रदेश से डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा छात्र सम्बन्धित प्रदेश का मूल निवासी अथवा स्थाई निवासी हो। पूर्व के जारी आर्डिनेंस के अनुसार लैट्ररल एंट्री हेतु आयोजित यूके0एस0ई0ई0 परीक्षा-2022-23 के क्रम में लैट्ररल एंट्री की सीट के लिए अर्हता "Uttarakhand Domicile & Academic Domicile only" है।

यह संज्ञान में आया है कि संस्थानों द्वारा दूसरे राज्यों से पास डिप्लोमा होल्डरों को प्रवेश दिया गया है। विश्वविद्यालय की नियमावली 2018 के 6.7 (2) के क्रम में दी गयी व्यवस्था राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर आखिल भारतीय कोटे से मैरिट के आधार पर भरी जा सकेगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यार्थियों से मैरिट के आधार पर भरी जा सकेगी। सीटें रिक्त रहने पर मैरिट से भरी जायेगी।

अतः उक्त के क्रम में सत्र 2022-23 के जारी आर्डिनेंस में निम्न अनुसार आइटम नं० (iv) जोड़ा जाना प्रस्तावित है:-

(viii) Candidates who have passed 3/4 year Diploma (as per AICTE norms) from institutions recognized by the Board of Technical Education of other State Governments/Central Government in India and which are considered equivalent by the Uttarakhand Board of Technical Education in any branch of Engineering/Technology except Agriculture Engineering are eligible for admission to Second year in any branch of engg./Technology except Agriculture Engineering as per the provisions laid down in the clause 6.07 of University Regulations-2018.

सत्र 2022-23 में उपरोक्तानुसार द्वितीय वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लैट्ररल एंट्री में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत दिये गये प्रवेशों को इस आशय से विद्यापरिषद् से अनुमोदन दिया जाना प्रस्तावित है कि सम्बन्धित संस्थान इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि सर्वप्रथम राज्य के स्थाई निवासी/उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रुड़की से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश दिया गया है एवं उपरोक्त के क्रम में छात्र/छात्राएं की अनुपलब्धता की स्थिति में 2. 2(iv) प्रस्ताव के अनुसार ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त संस्थानों/परिषदों से ही उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिया गया है, अन्य की स्थिति में दिये गये प्रवेश अमान्य होंगे इसके लिए संस्थान जिम्मेदार होगा। विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

विनिश्चय:-

1. आर्डिनेंस के 2.2 में (iv) बिन्दु Candidates who have passed 3/4 year Diploma (as per AICTE norms) from institutions recognized by the Board of Technical Education of other State Governments/Central Government in India and which are considered equivalent by the Uttarakhand Board of Technical Education in any branch of Engineering/Technology except Agriculture Engineering are eligible for admission to Second year in any branch of engg./Technology except Agriculture Engineering as per the provisions laid down in the clause 6.07 of University Regulations-2018 जोड़ने हेतु इस आशय से अनुमोदित, जिसकी कार्यतार अनुमति नियमानुसार विश्वविद्यालय की आगामी कार्यपरिषद से ली जायेगी एवं

तदनुसार सूचना मा० कुलाधिपति महोदय को प्रेषित की जायेगी तथा सम्बन्धित प्रस्ताव शैक्षिक सत्र 2022-23 से ही प्रभावी होगा।

2. सत्र 2022-23 में उपरोक्तानुसार द्वितीय वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लैट्रल एंट्री में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत दिये गये प्रवेशों को इस आशय से विद्यापरिषद् से अनुमोदन दिया गया है कि सम्बन्धित संस्थान इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि सर्वप्रथम राज्य के स्थाई निवासी/उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश नियमानुसार ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से मान्यता प्राप्त संस्थानों/परिषदों से ही उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिया गया है, अन्य की स्थिति में दिये गये प्रवेश अमान्य होंगे इसके लिए संस्थान जिम्मेदार होगा। विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

अन्य ऐजेंडा बिन्दु-2:-


विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी०टैक० आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स एण्ड मशीन लर्निंग 2021-22 से संचालित (की पाठ्यचर्या का बी०ओ०एस० के अनुमोदन के उपरान्त विद्यापरिषद् से कार्योत्तर अनुमोदनार्थ)

विनिश्चय:-

अनुमोदित।

अन्त में माननीय कुलपति महोदय एवं माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समाप्त किया गया।


(आर०पी० गुप्ता)
कुलसचिव


(प्रो० ओंकार सिंह)
कुलपति

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Ref.No- २९१७ /VMSBUTU/2022

Date- 30/12/2022

प्रतिलिपि:-

- निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- वित्त नियंत्रक, वी०मा०सिं०भ०उ०प्र०विवि०, देहरादून।
- परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सिं०भ०उ०प्र०विवि०, देहरादून।
- डॉ० आर०पी०एस० गंगवार, निदेशक, उब्जू०आई०टी०, देहरादून।
- डॉ० सत्येन्द्र सिंह, निदेशक, बी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट
- डॉ० हरप्रीत सिंह ग्रेवाल, निदेशक, डी०बी०एस० कालेज, देहरादून।
- डॉ० अमित बन्सल, निदेशक, जौ०बी०आई०टी० कालेज, देहरादून।
- डॉ० अमय कुमार शर्मा, निदेशक, बी०आई०एस०, भीमताल।
- गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष।
- श्री सुनील कुमार, स्टॉफ ऑफिसर


(आर०पी० गुप्ता)
कुलसचिव